न्यायालयः– मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, सादुलशहर, श्रीगंगानगर

(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सादुलशहर, श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारी	–	दीपा शर्मा R.J.S. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
प्रकरण संख्या	–	08/2022(05/2017)
सी.आई.एस. नम्बर	–	08/2022
सी.एन.आर. नम्बर	–	RJSG240005962022

श्रवण कुमार पुत्र श्री सुखराम, आयु–31 वर्ष (प्रार्थना–पत्र प्रस्तुति के समय), निवासी–वार्ड नम्बर–01, लालगढ़ जाटान, तहसील–सादुलशहर, जिला–श्रीगंगानगर।

– प्रार्थी/आवेदक

बनाम

1. सुरेन्द्र गाबा उर्फ हनुमान पुत्र श्री लक्ष्मणदास, निवासी–वार्ड नम्बर–7, केसरीसिंहपुर, जिला–श्रीगंगानगर (मालिक व चालक, कार नंबर RJ13–CA–6475)

2. इमीलाल पुत्र श्री बृजलाल, निवासी– चक 10 एस.टी.पी., मम्मड़खेड़ा, तहसील–सादुलशहर, जिला–श्रीगंगानगर (मालिक व चालक टाटा मैजिक नंबर RJ13– TA–1169)

– अप्रार्थीगण/अनावेदकगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 166 मोटरयान अधिनियम

उपस्थितिः–

1. श्री संजीव सिहाग, विद्वान अधिवक्ता–प्रार्थी/आवेदक की ओर से ।
2. अप्रार्थीगण/अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

–निर्णय–

दिनांकः–13.04.2026

01. प्रार्थी/आवेदक श्रवण कुमार की ओर से दिनांक 13.02.2017 को इस प्रार्थना–पत्र को, अप्रार्थी/अनावेदक सुरेन्द्र गाबा उर्फ हनुमान व अन्य के विरूद्ध माननीय न्यायालय –जिला एवं सेशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया गया था। तत्पश्चात् उक्त प्रार्थना–पत्र को श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर के आदेश से इस अधिकरण/न्यायालय में अंतरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

02. प्रार्थी/आवेदक श्रवण कुमार की ओर से अपने उक्त प्रार्थना–पत्र में इस आशय के अभिकथन किये गये हैं कि वह, दिनांक 22.10.2014 को 9:30 पी.एम. पर गाँव के शोभाराम

पुत्र मेजर सिंह, प्रदीप पुत्र रामप्रताप, मुकेश सहारण, महेन्द्र कुमार, वीरचंद, मोहन लाल व अन्य आदमियों के साथ टाटा मैजिक में सवार होकर, जब लालगढ़ बस अड्डा से आगे काली माता मंदिर के पास पहुँचा, तो पीछे से एक स्विफ्ट कार नंबर RJ13–CA–6475 को उसका चालक अप्रार्थी संख्या–1 तेज गति व लापरवाही से चलाकर लाया और टाटा मैजिक के टक्कर मार दी, जिससे उसके व टाटा मैजिक में सवार अन्य व्यक्तियों के गंभीर चोटें आयी। पीछे आ रही एक बोलेरो के चालक ने सभी घायलों को राजकीय चिकित्सालय, श्रीगंगानगर में भर्ती करवा दिया। इस दुर्घटना की प्रथम सूचना, पुलिस थाना–लालगढ़ जाटान में दी गई थी, जिस पर अप्रार्थी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी । इसके पश्चात् उसने जरिये इस्तगासा एक एफ.आई.आर. नंबर–36/2015 दर्ज करवायी, जिसमें बाद अनुसंधान पुलिस ने कार चालक के विरूद्ध धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं. में चालान प्रस्तुत किया। दुर्घटना कारित करने में कार चालक व टाटा मैजिक के ड्राईवर की गलती थी। वह 31 वर्ष का व्यक्ति है तथा दुर्घटना से पूर्व वह हष्ट–पुष्ट था। उक्त दुर्घटना में उसको गभीर व चहुमुखी चोटें आई। उसकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया तथा सिर में चोट लगी। उसके एक वर्ष तक सिर से लेकर छाती तक शिकन्जा कसा गया, जिसके कारण वह एक वर्ष तक बिस्तर पर रहा तथा अपनी दैनिक क्रियायें करने में भी असमर्थ रहा। वह आज भी चलने–फिरने में असमर्थ है और उसको 60 प्रतिशत स्थाई निःशक्तता है। वह आज भी सही स्थिति में नहीं है और आज भी उसके सिर में दर्द रहता है। वह चलने–फिरने में असमर्थ है तथा रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होने से वह सीधा खड़ा होने में भी असमर्थ है। वह "विकास डब्ल्यू एस पी लि. उद्योग विहार, रिको" में रात्री की शिफ्ट में कार्य करता था एवं दिन में कृषि कार्य करता था। उक्त दुर्घटना से वह, भविष्य में होने वाली आय में बढ़ोतरी से वंचित हो गया है, इसलिये वह, दुर्घटना के कारण उसे हुई आय की क्षति का प्रतिकर अप्रार्थीगण से प्राप्त करने का अधिकारी है तथा अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से व पृथक–पृथक रूप से उक्त राशि को अदा करने के लिये उत्तरदायी है। उसको दुर्घटना के पश्चात् प्रथम बार राजकीय चिकित्सालय, श्रीगंगानगर में भर्ती करवाया गया तथा बाद में वह गुप्ता नर्सिंग होम, श्रीगंगानगर में, उसके बाद राजोतिया हॉस्पीटल में तथा उसके बाद गंगाराम बंसल हॉस्पीटल में भर्ती रहा। अप्रार्थीगण दुर्घटना में अंतर्ग्रस्त वाहन के स्वामी व चालक है। अप्रार्थी संख्या–1 के द्वारा कार नंबर RJ13–CA–6475 को तेजगति, लापरवाही एवं गफलत से चलाकर दुर्घटना कारित की गयी तथा टाटा मैजिक का चालक भी दुर्घटना कारित करने में उत्तरदायी है। वे अपने कृत्य के लिए प्रत्यक्ष जिम्मेवार हैं। अंत में उसकी ओर से प्रार्थना–पत्र के न्यायालय के

क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने का कथन करते हुए कुल 1,22,60,000/– रूपये की आज्ञप्ति उसके पक्ष में तथा अप्रार्थीगण/अनावेदकगण के विरूद्ध पारित किये जाने का निवेदन किया गया।

03. अप्रार्थीगण/अनावेदकगण के विरूद्ध दिनांक 05.07.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई और उनकी ओर से उक्त प्रार्थना–पत्र का जवाब पेश नहीं हुआ।

04. प्रार्थीपक्ष/आवेदकपक्ष की ओर से अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में गवाह ए.ड.1 श्रवण कुमार (स्वयं प्रार्थी/आवेदक) एवं गवाह ए.ड. 2 सुबा राम को पेश कर परीक्षित करवाया गया है तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रलेख प्रदर्श–1 लगायत प्रदर्श–62 को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया है।

05. बहस अंतिम एकपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/आवेदक श्रवण कुमार ने अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये इस आशय के तर्क दिये कि दिनांक 22.10.2014 को 9:30 पी.एम. पर प्रार्थी/आवेदक श्रवण कुमार टाटा मैजिक में अन्य व्यक्तियों के साथ सवार होकर जब लालगढ़ बस अड्डा से आगे काली माता मंदिर के पास पहुँचा, तो एक स्विफ्ट कार नंबर RJ13–CA–6475 के चालक ने उसे तेज गति व लापरवाही से चलाकर उनकी टाटा मैजिक के टक्कर मार दी, जिससे, उसके व टाटा मैजिक में सवार अन्य व्यक्तियों के गंभीर चोटें आयी। इस बाबत् उसके द्वारा न्यायालय में इस्तगासा पेश किया गया, जिस पर प्रकरण दर्ज हुआ एवं बाद अनुसंधान अप्रार्थी संख्या–1 सुरेन्द्र गाबा उर्फ हनुमान के विरूद्ध न्यायालय में आरोप –पत्र पेश हुआ। न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय दिनांकित 09.09.2022 के द्वारा उसे अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दंड संहिता में दोषसिद्ध करते हुये परिवींक्षा अधिनियम का लाभ दिया गया। उक्त दुर्घटना के परिणामस्वरूप प्रार्थी को आयी चोट के कारण वह एक वर्ष तक बिस्तर पर रहा और अपनी दैनिक क्रियाएं करने में असमर्थ रहा। प्रार्थी को इस दुर्घटना में आयी चोटों के कारण 60 प्रतिशत स्थायी निःशक्तता है और आज भी वह सही स्थिति में नहीं है। प्रार्थी "विकास डब्ल्यू एस पी लि. उद्योग विहार, रिको श्रीगंगानगर" में रात्रि की शिफ्ट में कार्य करता था और दिन में कृषि कार्य करता था। उक्त दुर्घटना से प्रार्थी भविष्य में होने वाली आय में बढ़ोतरी से वंचित हो गया है और प्रार्थी इस बाबत् प्रतिकर की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है, जिसे अदा करने के लिए अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से एवं पृथक–पृथक रूप से उत्तरदायी है। प्रार्थी दुर्घटना के समय लगभग 30 वर्ष का था।

अंत में उन्होंने प्रार्थना–पत्र में वर्णित अनुतोष प्रार्थी/आवेदक को दिये जाने का निवेदन किया।

06. दौराने बहस प्रार्थीपक्ष/आवेदकपक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना–पत्र के निस्तारण हेतु अधिकरण/न्यायालय के समक्ष अवधारणीय प्रश्न यह है किः–

1. क्या दिनांक 22.10.2014 को 9.30 पी.एम. पर सड़क आम, लालगढ़ से श्रीगंगानगर, नजदीक काली माता मंदिर, लालगढ़ जाटान पर अप्रार्थी/अनावेदक संख्या–1 सुरेन्द्र गाबा उर्फ हनुमान ने अपनी कार नम्बर RJ13–CA–6475 को तेज गति व लापरवाही से चलाकर अप्रार्थी/अनावेदक संख्या–2 इमीलाल के वाहन टाटा मैजिक नम्बर RJ13–TA–1109 को टक्कर मारी, जिससे दुर्घटना कारित हुई तथा उक्त दुर्घटना के लिये अप्रार्थी/अनावेदक संख्या–2 इमीलाल, टाटा मैजिक का चालक भी उत्तरदायी है? और उक्त दुर्घटना के परिणामस्वरूप उक्त टाटा मैजिक में सवार प्रार्थी/आवेदक श्रवण कुमार के गंभीर चोटें कारित हुयी ?

2. क्या प्रार्थी/आवेदक श्रवण कुमार प्रतिकर राशि प्राप्त करने का अधिकारी है, और यदि हाँ, तो कितनी, किस प्रकार और किससे?

3. अनुतोष?

उक्त विचारणीय प्रश्नों पर अधिकरण /न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार से है:–

<u>विचारणीय प्रश्न संख्या–1:–</u>

उक्त विचारणीय प्रश्न इस बिन्दु से सम्बन्धित है कि "क्या दिनांक 22.10.2014 को 9.30 पी.एम. पर सड़क आम, लालगढ़ से श्रीगंगानगर, नजदीक काली माता मंदिर, लालगढ़ जाटान पर अप्रार्थी/अनावेदक संख्या–1 सुरेन्द्र गाबा उर्फ हनुमान ने अपनी कार नम्बर RJ13–CA–6475 को तेज गति व लापरवाही से चलाकर अप्रार्थी/अनावेदक संख्या–2 इमीलाल के वाहन टाटा मैजिक नम्बर RJ13–TA–1109 को टक्कर मारी, जिससे दुर्घटना कारित हुई तथा उक्त दुर्घटना के लिये अप्रार्थी/अनावेदक संख्या–2 इमीलाल, टाटा मैजिक का चालक भी उत्तरदायी है? और उक्त दुर्घटना के परिणामस्वरूप उक्त टाटा मैजिक में सवार प्रार्थी/आवेदक श्रवण कुमार के गंभीर चोटें कारित हुयी ?"

इस सम्बन्ध में प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य को यदि हम देखें, तो प्रार्थीपक्ष/आवेदकपक्ष की

ओर से स्वयं प्रार्थी/आवेदक श्रवण कुमार, जो बहैसियत गवाह ए.ड. 1 पेश हो, परीक्षित हुआ है, इसने इस सम्बन्ध में अपने मुख्य परीक्षण में पेश किये गये अपने साक्ष्य शपथ–पत्र में इस सम्बन्ध में अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित अभिवचनों/अभिकथनों को ही दोहराते हुये इस आशय के स्पष्ट कथन किये हैं कि यह, दिनांक 22.10.2014 को रात्रि लगभग 9.30 बजे वाहन टाटा मैजिक नंबर RJ13–TA–1109, जिसे अयाची/अप्रार्थी संख्या–2 चला रहा था, पर सवार होकर लालगढ़ से अपने कार्यस्थल "विकास डब्ल्यू एस पी लि. उद्योग विहार, रिको श्रीगंगानगर" जा रहा था। इसके साथ गाँव के शोभाराम पुत्र मेजर सिंह, प्रदीप पुत्र रामप्रताप, मुकेश सहारण, महेन्द्र कुमार, वीरचंद, मोहन लाल व दो–तीन अन्य लोग भी उक्त टाटा मैजिक में सवार थे। जब उक्त टाटा मैजिक, लालगढ़ से रवाना होकर श्रीगंगानगर सड़क पर नजदीक काली माता मंदिर, लालगढ़ जाटान के पास पहुँचा, तो पीछे से एक स्विफ्ट कार नंबर RJ13–CA–6475 को उसके चालक अयाची संख्या–1 ने तेज गति व लापरवाही से चलाते हुये उसके टक्कर मार दी, जिससे इसके व टाटा मैजिक में सवार अन्य व्यक्तियों के गंभीर चोटें आयी। इसने, जरिए इस्तगासा, एफ.आई.आर. संख्या–36/2015 दर्ज करवायी, जिसमें पुलिस द्वारा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादुलशहर के न्यायालय में चार्जशीट पेश की गयी और बाद विचारण दोनों अयाचीगण को दोषसिद्ध किया गया। इस गवाह के द्वारा अपने बयान में किये गये उक्त कथनों की पुष्टि हेतु प्रलेखीय साक्ष्य में, प्रलेख आरोप–पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–1, नक्शा मौका की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–2, हालात मौका की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–3, डी.एल. सुरेन्द्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–4, इसकी फोटो प्रदर्श–5, स्विफ्ट कार नंबर RJ13–CA–6475 की आर.सी. की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–6, ए.सी.जे.एम. न्यायालय सादुलशहर के द्वारा प्रकरण संख्या–257/2015, अनवान सरकार बनाम सुरेन्द्र गाबा उर्फ हनुमान में पारित निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–7, एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श–54, चोट प्रतिवेदन पत्र प्रदर्श–55, मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श–56, पुलिस बयान श्रवण कुमार प्रदर्श–59, पुलिस बयान सुबा राम प्रदर्श–60, पुलिस बयान मोहन लाल प्रदर्श–61 एवं पुलिस बयान महेन्द्र कुमार प्रदर्श–62 को पेश किया गया है। इस सम्बन्ध में न्यायालय–अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादुलशहर, श्रीगंगानगर के द्वारा प्रकरण संख्या–257/2015,अनवान सरकार बनाम सुरेन्द्र गाबा उर्फ हनुमान में पारित निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–7 एवं अन्य प्रलेखों का यदि अवलोकन किया जाए, तो हमारे समक्ष यह स्थिति स्पष्ट रूप से सामने आती है कि उक्त दुर्घटना के सम्बन्ध में अप्रार्थी /अनावेदक

संख्या–1 सुरेन्द्र गाबा उर्फ हनुमान के विरूद्ध पुलिस के द्वारा बाद अनुसंधान धारा 279, 337, 338 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध प्रमाणित मानकर आरोप–पत्र पेश किया गया था और न्यायालय–अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादुलशहर, श्रीगंगानगर के द्वारा बाद विचारण उसके विरूद्ध धारा 279, 337, 338 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों का आरोप प्रमाणित मानकर उसे दोषसिद्ध करते हुये उसे परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया गया। इस गवाह के द्वारा दिनांक 22.10.2014 को स्विफ्ट कार नंबर RJ13–CA–6475 को उसके चालक अप्रार्थी/अनावेदक संख्या–1 सुरेन्द्र गाबा उर्फ हनुमान के द्वारा तेज गति व लापरवाही से चलाते हुये टाटा मैजिक नंबर RJ13–TA–1109, के टक्कर मारने से दुर्घटना के कारित होने के और उक्त दुर्घटना में इसके व टाटा मैजिक में सवार अन्य व्यक्तियों के गंभीर चोटें आने के संबंध में अपने मुख्य परीक्षण में किये गये कथनों एवं इस संबंध में प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्य का खंडन इसके प्रतिपरीक्षण में अप्रार्थीपक्ष/अनावेदकपक्ष की ओर से किसी भी प्रकार से नहीं हुआ है, परन्तु अप्रार्थी/अनावेदक संख्या–2 इमीलाल, टाटा मैजिक का चालक भी उक्त दुर्घटना के लिये उत्तरदायी था, इस बाबत् इस गवाह की ओर से किसी भी प्रकार की कोई पुख्ता साक्ष्य सामग्री पेश नहीं हुई है।

अब इसी क्रम में यदि हम प्रार्थीपक्ष/आवेदकपक्ष की ओर से पेश हो, परीक्षित हुये गवाह ए.ड. 2 सुबा राम के बयान को देखें, तो इसने भी अपने मुख्य परीक्षण में पेश किये गये अपने साक्ष्य शपथ–पत्र में इस सम्बन्ध में प्रार्थी/आवेदक श्रवण कुमार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में वर्णित अभिवचनों/अभिकथनों एवं उसकी ओर से बहैसियत गवाह ए.ड. 1 प्रस्तुत साक्ष्य की पुष्टि करते हुये इस आशय के स्पष्ट कथन किये हैं कि यह, दिनांक 22.10.2014 को रात्रि लगभग 9.30 बजे वाहन टाटा मैजिक नंबर RJ13–TA–1109, जिसे अयाची संख्या–2 चला रहा था, पर सवार होकर लालगढ़ से उद्योग विहार, रीको, श्रीगंगानगर जा रहा था। इसके साथ गाँव के श्रवण कुमार पुत्र सुखराम, प्रदीप पुत्र रामप्रताप, मुकेश सहारण, महेन्द्र कुमार, वीर चन्द, मोहन लाल व दो तीन अन्य लोग भी उक्त टाटा मैजिक में सवार थे। जब उक्त टाटा मैजिक लालगढ़ से रवाना होकर श्रीगंगानगर सड़क पर नजदीक काली माता मंदिर, लालगढ़ जाटान के पास पहुँचा, तो पीछे से एक स्विफ्ट कार नंबर RJ13–CA–6475 तेज गति से दौड़ती हुयी आयी। उक्त कार के चालक अयाची संख्या–1 ने कार को तेज गति व लापरवाही से चलाते हुये टक्कर मार दी, जिससे इसके व टाटा मैजिक में सवार अन्य व्यक्तियों के गंभीर चोटें आयी। श्रवण कुमार को अधिक गंभीर चोटें आयी और श्रवण कुमार ने उक्त दुर्घटना कारित

करने पर जरिये इस्तगासा एफ.आई.आर. संख्या–36/2015 दर्ज करवायी। इस गवाह के प्रतिपरीक्षण में भी अप्रार्थीपक्ष/अनावेदकपक्ष की ओर से, इस गवाह के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में किये गये उक्त कथनों का किसी भी प्रकार से कोई खंडन नहीं हुआ है। इसके अलावा इस गवाह ने भी इस बाबत् कोई पुख्ता साक्ष्य पेश नहीं की है कि अप्रार्थी/अनावेदक संख्या–2 इमीलाल, टाटा मैजिक का चालक भी उक्त दुर्घटना के लिये उत्तरदायी था।

इसके अतिरिक्त अप्रार्थीपक्ष/अनावेदकपक्ष की ओर से, दिनांक 22.10.2014 को स्विफ्ट कार नंबर RJ13–CA–6475 को उसके चालक अप्रार्थी/अनावेदक संख्या–1 सुरेन्द्र गाबा उर्फ हनुमान के द्वारा तेज गति व लापरवाही से चलाते हुये टाटा मैजिक नंबर RJ13–TA–1109, के टक्कर मारने से दुर्घटना के कारित होने के और उक्त दुर्घटना में प्रार्थी/आवेदक श्रवण कुमार के व टाटा मैजिक में सवार अन्य व्यक्तियों के गंभीर चोटें आने के संबंध में प्रार्थीपक्ष/आवेदकपक्ष की ओर से रहे अभिवचनों के खंडन स्वरूप ना तो अभिवचन रहे हैं और ना ही उसकी ओर से किसी भी प्रकार की कोई साक्ष्य ही प्रस्तुत हुयी है।

इस प्रकार उपरोक्त संपूर्ण विवेचना के अनुक्रम में यहाँ यही कहा जाना उचित होगा कि प्रार्थीपक्ष/आवेदकपक्ष अपनी साक्ष्य से इस बात को प्रमाणित करने में बखूबी सफल रहा है कि दिनांक 22.10.2014 को 9.30 पी.एम. पर सड़क आम, लालगढ़ से श्रीगंगानगर, नजदीक काली माता मंदिर, लालगढ़ जाटान पर अप्रार्थी/अनावेदक संख्या–1 सुरेन्द्र गाबा उर्फ हनुमान ने अपनी कार नम्बर RJ13–CA–6475 को तेज गति व लापरवाही से चलाकर अप्रार्थी/अनावेदक संख्या–2 इमीलाल के वाहन टाटा मैजिक नम्बर RJ13–TA–1109 को टक्कर मारी, जिससे दुर्घटना कारित हुई तथा उक्त दुर्घटना के परिणामस्वरूप उक्त टाटा मैजिक में सवार प्रार्थी/आवेदक श्रवण कुमार के गंभीर चोट कारित हुयी, परन्तु वह इस बात को साबित नहीं कर सका कि उक्त दुर्घटना के लिये अप्रार्थी/अनावेदक संख्या–2 इमीलाल, टाटा मैजिक का चालक भी उत्तरदायी था।

<u>विचारणीय प्रश्न संख्या–2 :–</u>

उक्त विचारणीय प्रश्न इस बिन्दु से सम्बन्धित है कि "क्या प्रार्थी/आवेदक श्रवण कुमार प्रतिकर राशि प्राप्त करने का अधिकारी है, और यदि हाँ, तो कितनी, किस प्रकार और किससे?"

इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम यहाँ यह उल्लेखित किया जाना उचित होगा कि उपरोक्त विवेचनानुसार विचारणीय प्रश्न संख्या–1 को प्रार्थी/आवेदक श्रवण कुमार अपनी साक्ष्य से

प्रमाणित करने में बखूबी सफल रहा है, अतः ऐसी स्थिति में वह , अप्रार्थी/अनावेदक संख्या–1 सुरेन्द्र गाबा उर्फ हनुमान से दुर्घटना में कारित गंभीर चोट के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी/आवेदक श्रवण कुमार का यह निवेदन रहा है कि दिनांक 22.10.2014 को हुयी दुर्घटना में उसे गंभीर चोटें आयी और इस कारण से उसको 60 प्रतिशत स्थायी निःशक्तता है और वह सही स्थिति में नहीं है, इसलिए उसे 1,22, 60,000/–रूपए बतौर प्रतिकर अप्रार्थीगण से दिलवाये जावें।

इस संबंध में स्वयं प्रार्थी/आवेदक श्रवण कुमार, जो कि बहैसियत गवाह ए.ड. 1 पेश हो, परीक्षित हुआ है, ने अपने बयान में दिनांक 22.10.2014 को हुयी दुर्घटना में उसको अनेक चोटें आने के, उसकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो जाने के, उसके एक साल तक बिस्तर पर रहने के, उसके अपने दैनिक क्रियाकलाप को करने में असमर्थ हो जाने के, उक्त दुर्घटना के कारण उसके 60 प्रतिशत से अधिक स्थायी निःशक्तता से ग्रसित हो जाने के तथा उक्त दुर्घटना से उसे मानसिक और शारीरिक पीड़ा होने के कथन किये हैं। अपने उक्त मौखिक कथनों की संपुष्टि में इसकी ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में प्रलेख प्रदर्श–54 एक्स–रे रिपोर्ट, प्रदर्श–55 चोट प्रतिवेदन पत्र, प्रदर्श–8 स्थायी निःशक्तता प्रमाण–पत्र, प्रदर्श–19 डिस्चार्ज कार्ड/टिकट, प्रदर्श–7 निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि, मेडिकल बिल्स व इलाज की पर्चियाँ इत्यादि को पेश किया गया है।

इस गवाह की ओर से प्रस्तुत प्रलेख प्रदर्श–54 एक्स–रे रिपोर्ट, प्रदर्श–55 चोट प्रतिवेदन पत्र एवं प्रदर्श–7 निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि का यदि हम अवलोकन करें, तो हमारे समक्ष यह तथ्य बखूबी प्रकट होता है कि उक्त दुर्घटना में प्रार्थी/आवेदक श्रवण कुमार को एक गंभीर चोट(गर्दन की पहली अस्थि का भंग व डिस्लोकेशन) कारित हुयी है, अतः ऐसी स्थिति में उसको उक्त गंभीर चोट के लिए 10,000/–रूपए की राशि दिलवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

इसके अतिरिक्त प्रार्थी/आवेदक श्रवण कुमार की ओर से प्रस्तुत प्रलेख प्रदर्श–19 डिस्चार्ज कार्ड/टिकट के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रार्थी/आवेदक गुप्ता नर्सिंग होम में दिनांक 08.11.2014 से दिनांक 18.11.2014 तक अर्थात् दस दिन तक इलाजरत रहा, अतः ऐसी स्थिति में उसको उक्त नर्सिंग होम में भर्ती रहने बाबत् अनुषंगिक खर्चों के मद में 600/–रूपए प्रतिदिन के हिसाब से 6000/–रूपए दिलवाया जाना उचित प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी/आवेदक के द्वारा उक्त नर्सिंग होम में भर्ती रहने के दौरान पोष्टिक आहार

भी लिया होगा, अतः पोष्टिक आहार के खर्चे के पेटे 500/–रूपए प्रतिदिन के हिसाब से उसे कुल 5000/–रूपए की राशि भी दिलवाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अब जहाँ तक प्रार्थी/आवेदक श्रवण कुमार को उक्त दुर्घटना में कारित गंभीर चोट के परिणामस्वरूप हुयी स्थायी निःशक्तता से उसको भावी आय की क्षति कारित होने का प्रश्न है, तो इस संबंध में इसकी ओर से बहैसियत गवाह ए.ड. 1 अपने बयान में इस आशय के स्पष्ट कथन किये गये हैं कि उक्त दुर्घटना के कारण यह लगभग 60 प्रतिशत से अधिक स्थायी निःशक्तता से ग्रसित हो गया है तथा अपने कामकाज को करने में असमर्थ हो गया है, जिसकी पुष्टि इसकी ओर से प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्य से एवं प्रार्थीपक्ष/आवेदकपक्ष की ओर से पेश हो, परीक्षित हुये अन्य गवाह ए.ड. 2 सुबा राम के बयान से भी होती है। अब इस संबंध में यदि हम इस गवाह ए.ड. 1 श्रवण कुमार की ओर से पेश कर प्रदर्शित करवाये गये प्रलेख स्थायी निःशक्तता प्रमाण–पत्र प्रदर्श–8 का अवलोकन करें, तो उससे भी इसको उक्त दुर्घटना में कारित गंभीर चोट के परिणामस्वरूप 60 प्रतिशत स्थायी निःशक्तता का कारित होना प्रकट होता है। प्रार्थीपक्ष/आवेदकपक्ष की ओर से इस सम्बन्ध में प्रस्तुत उक्त साक्ष्य का खंडन अप्रार्थीपक्ष/अनावेदकपक्ष की ओर से किसी भी प्रकार से नहीं हुआ है। इस प्रकार प्रार्थीपक्ष/आवेदकपक्ष की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत हुयी है, उससे दुर्घटना में कारित चोट के परिणामस्वरूप प्रार्थी/आवेदक श्रवण कुमार के 60 प्रतिशत स्थायी निःशक्तता से ग्रसित होने का तथ्य बखूबी सामने आता है। इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में यदि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रकरण 2011 (1) एस.सी.सी. 343 राजकुमार बनाम अजय कुमार में प्रतिपादित सिद्धांत का अवलोकन किया जाये, तो उक्त प्रकरण में मोटरयान दुर्घटना से कारित चोटों व स्थाई निःशक्तता के परिणामस्वरूप भविष्य में होने वाली आय की क्षति हेतु प्रतिकर राशि निर्धारित करने के संबंध में माननीय न्यायालय के द्वारा निम्न दिशा निर्देश एवं सिद्धान्त प्रतिपादित किए गए हैं :–

> (i) All injuries (or permanent disabilities arising from injuries), do not result in loss of earning capacity.
>
> (ii) The percentage of permanent disability with reference to the whole body of a person, cannot be assumed to be the percentage of loss of earning capacity. To put it differently, the percentage of loss of earning capacity is not the same as the percentage of permanent disability (except in a few cases, where the tribunal on the basis of

evidence, concludes that percentage of loss of earning capacity is the same as percentage of permanent diability).

(iii) The Doctor who treated an injured–claimant or who examined him subsequently to assess the extent of permanent disability. The loss of earning capacity is something that will have to be assessed by the Tribunal with reference to the evidence in entirety.'

(iv) The same permanent disability may result in different percentages of loss of earning capacity in different persons, depending upon the nature of profession, occupation or job, age, education and other factors.''

....''It is only in serious cause of injury, where there is specific medical evidence corroborating the evidence of the claimant, that compensation will be granted under the head relating to loss of future earnings on account of permanent disability.''... ... ... ''Tribunal ascertains the actual extent of permanent disability of the claimant, based on the medical evidence, it has to determine whether such permanent disability has affected or will affect his earning capacity''... ... ...''What requires to be assessed by the Tribunal is the effect of the permanent disability on the earning capacity of the injured.'' ... ... ''and all injuries do not result in loss of earning capacity''.

उक्त न्यायिक दृष्टांत में अभिव्यक्त उक्त मत की रोशनी में यदि हस्तगत प्रकरण को देखा जाये, तो चूँकि उपरोक्त विवेचनानुसार यह बात बखूबी सामने आती है कि प्रार्थी/आवेदक श्रवण कुमार उक्त दुर्घटना के कारण उसे कारित गंभीर चोट के परिणामस्वरूप 60 प्रतिशत स्थायी निःशक्तता से ग्रसित हो गया है, जिसके कारण वह अपने कार्य, पूर्व की भाँति नहीं कर सकेगा, अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी/आवेदक को कारित उक्त निःशक्तता को सम्पूर्ण शरीर के सम्बन्ध में 60 प्रतिशत स्थायी निःशक्तता माना जाना न्यायोचित एवं युक्तियुक्त प्रतीत होता है तथा प्रार्थी को उक्त स्थायी निःशक्तता के कारण उसकी भावी आय में क्षति होना प्रकट होता है।

प्रार्थी/आवेदक श्रवण कुमार को स्थायी निःशक्तता के कारण भविष्य की आय में हुई क्षति की मद में दिलायी जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि की गणना के संबंध में यदि हम सर्वप्रथम दुर्घटना के समय प्रार्थी/आवेदक श्रवण कुमार घायल की आयु के सम्बन्ध में विचार करे, तो इस सम्बन्ध में प्रार्थीपक्ष/आवेदकपक्ष की ओर से पेश हो परीक्षित हुए गवाह ए.ड. 1 श्रवण

कुमार ने अपने बयान में स्वयं की आयु, दुर्घटना के समय 31 वर्ष बतायी है, परंतु इस संबंध में यदि हम इसकी ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में प्रस्तुत प्रलेख, एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श–54, चोट प्रतिवेदन पत्र प्रदर्श–55, इसके पुलिस बयान प्रदर्श–59, प्रवेश कार्ड प्रदर्श–18 का अवलोकन करें, तो इनमें घायल व्यक्ति श्रवण कुमार की आयु 30 वर्ष अंकित है। इसके अतिरिक्त दौराने बहस प्रार्थीपक्ष/आवेदकपक्ष की ओर से प्रार्थी/आवेदक श्रवण कुमार के आधार कार्ड की प्रति को पेश किया गया है, जिसके अवलोकन से दुर्घटना के समय उसकी आयु 29 वर्ष 9 माह 21 दिन होना प्रकट होता है, अर्थात् लगभग 30 वर्ष होना प्रकट होता है। इस प्रकार अपनी आयु के सम्बन्ध में इस गवाह की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य में अन्तर आ रहा है, परन्तु विधिनुसार इस सम्बन्ध में इसकी ओर से प्रस्तुत उक्त प्रलेखीय साक्ष्य को ही महत्व दिया जायेगा और इस प्रकार से उक्त प्रलेखीय साक्ष्य एवं इसके आधार कार्ड के अनुसार इसकी आयु, दुर्घटना के समय लगभग 30 वर्ष होती है। घायल श्रवण कुमार की दुर्घटना के समय आयु लगभग 30 वर्ष ना होती हो, ऐसी कोई भी बात सामने लाने में अप्रार्थीपक्ष किसी भी प्रकार से सफल नहीं रहा है। अतः उक्त विवेचनानुसार घायल श्रवण कुमार की आयु, दुर्घटना के समय लगभग 30 वर्ष निर्धारित की जाती है और माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रकरण/न्यायिक दृष्टांत AIR 2009 S.C. 3104, Smt. Sarla Verma & Ors. vs Delhi Transport Corporation & Anr. में दी गयी गुणक सारणी के अनुसार प्रकरण में 17 के गुणक का अनुप्रयोग किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अब जहाँ तक दुर्घटना के समय प्रार्थी/आवेदक श्रवण कुमार घायल की दैनिक/मासिक/वार्षिक आय का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में प्रार्थीपक्ष/आवेदकपक्ष की ओर से इस आशय के अभिवचन रहे हैं कि प्रार्थी/आवेदक श्रवण कुमार "विकास डब्ल्यू एस पी लि. उद्योग विहार, रिको" में रात्रि की शिफ्ट में कार्य करता था एवं दिन में कृषि कार्य करता था और प्रार्थीपक्ष/आवेदकपक्ष की ओर से पेश हो परीक्षित हुए गवाह ए.ड. 1 स्वयं घायल श्रवण कुमार ने अपने बयान में इस संबंध में इस आशय का कथन किया है कि वह बरोज घटना "विकास डब्ल्यू एस पी लि. उद्योग विहार, रिको श्रीगंगानगर" में 20,000/ रूपए वेतन पर काम करता था। कृषि कार्य करने के संबंध में इसकी ओर से कोई कथन नहीं किया गया। इसके अलावा इस संबंध में यदि हम इसकी ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में प्रस्तुत प्रलेख प्रदर्श–30 प्रमाण–पत्र एवं प्रदर्श–24 व प्रदर्श–37 पे–स्लिप का अवलोकन करें, तो प्रदर्श–30 प्रमाण–पत्र में इसकी आय 9535/–रूपए प्रतिमाह होने का अंकन है, तो वहीं पे स्लिप प्रदर्श–24 में 8097/–

रूपए एवं पे स्लिप प्रदर्श–37 में 7952/–रूपए, इसका शुद्ध वेतन देय होने का अंकन है। इस प्रकार उक्त तीनों दस्तावेजों में यह राशि अलग–अलग अंकित है, जो इसके मौखिक कथनों से भी भिन्न है। इसके अलावा इस बात की पुष्टि करने के लिए उक्त कम्पनी की ओर से कोई भी व्यक्ति पेश हो परीक्षित नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त इस बात की संपुष्टि में प्रार्थीपक्ष/आवेदकपक्ष की ओर से अन्य कोई पुख्ता साक्ष्य यथा हाजिरी रजिस्टर व बैंक स्टेटमेंट इत्यादि भी पेश नहीं हुए है। इस प्रकार प्रार्थीपक्ष/आवेदकपक्ष की ओर से इस बाबत् ऐसी कोई पुख्ता साक्ष्य पेश नहीं की गयी है, जिससे यह बात सुदृढ़ रूप से प्रमाणित होती हो कि प्रार्थी श्रवण कुमार "विकास डब्ल्यू एस पी लि. उद्योग विहार, रिको श्रीगंगानगर" में उपरोक्तानुसार आय अर्जित कर रहा था, परन्तु प्रकरण में आयी साक्ष्य से प्रार्थी/आवेदक के द्वारा कार्य किया जाना व अर्थोपार्जन किया जाना प्रकट होता है। अब ऐसी स्थिति में जबकि प्रार्थी/आवेदक की कथित आय साक्ष्य से साबित नहीं होती है, परन्तु उसका कार्य किया जाना व अर्थोपार्जन किया जाना प्रकट होता है, तो ऐसी स्थिति में उसे अकुशल श्रेणी का कार्मिक मानते हुए तत्समय लागू/प्रभावी न्यूनतम मजदूरी की दरों के अनुसार उसकी आय को निर्धारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। चूंकि प्रकरण में दुर्घटना दिनांक 22.10.2014 को घटित हुई है, तो ऐसी स्थिति में राजस्थान राज्य में दिनांक 01.01.2014 को अकुशल श्रेणी के कार्मिक के लिये प्रभावी/निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दर के आधार पर घायल श्रवण कुमार की आय 4914/–रूपये प्रतिमाह निर्धारित की जाती है।

इसके अतिरिक्त प्रकरण AIR 2017 S.C. 5157 National Insurance Co. Ltd. vs Pranay Sethi में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा अभिव्यक्त मत के परिप्रेक्ष्य में भावी प्रत्याशा के सम्बन्ध में/भविष्य की उन्नति की क्षति के मद में प्रार्थी/आवेदक श्रवण कुमार की आयु 40 वर्ष से नीचे माने जाने के कारण तथा उसके अकुशल श्रमिक/अस्थायी कार्मिक होने के कारण उक्त प्रतिमाह निर्धारित की गयी आय की राशि के साथ उसकी 40 प्रतिशत राशि जोड़े जाने पर यह राशि निम्नानुसार बनती हैः–

1. 4914×12×17= 10,02,456/–रूपये
2. 10,02,456×40%= 4,00,982.40/–रूपये
3. 10,02,456+ 4,00,982.40= 14,03,438.40/–रूपये

अब चूँकि उपरोक्त विवेचना के अनुसार प्रार्थी/आवेदक श्रवण कुमार को दुर्घटना में

आयी गंभीर चोट के परिणामस्वरूप उसके 60 प्रतिशत स्थायी नि:शक्तता से ग्रसित होने का तथ्य बखूबी प्रमाणित हुआ है, अतः ऐसी स्थिति में उसे भविष्य की आय की क्षति के मद में 14,03,438.40×60%= 8,42,063.04/–रूपये दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

प्रार्थी/आवेदक श्रवण कुमार की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से उपरोक्त विवेचना के अनुसार उसकी गर्दन में दुर्घटना के परिणामस्वरूप एक गंभीर प्रकृति की चोट का कारित होना सामने आया है, जो दर्द एवं पीड़ा का अहसास करवाता है। उक्त चोट के कारण वह शारीरिक व मानसिक तौर पर कष्ट में रहा है तथा उसके भविष्य में भी शारीरिक एवं मानसिक तौर पर कष्ट में रहने से इंकार नहीं किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के द्वारा विभिन्न न्याय निर्णयों में शारीरिक एवं मानसिक पीड़ की मद में भिन्न –भिन्न राशि दिलायी गई है। उक्त न्याय निर्णयों के प्रकाश में हस्तगत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/आवेदक श्रवण कुमार को इलाज के दौरान हुई पीड़ा और भविष्य में होने वाली पीड़ा को ध्यान में रखते हुए उसे 3,00,000/– रूपये की राशि दिलाया जाना न्यायोचित एवं युक्तियुक्त प्रतीत होता है।

प्रार्थी/आवेदक श्रवण कुमार की ओर से इलाज से संबंधित दस्तावेज पर्चियाँ व मेडिकल बिल प्रदर्श–20, 23, 25, 26, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 45, 50, 51 व 53 पेश किये गये हैं, जिनकी कुल राशि 1596/– रूपये उसे दिलाया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है।

सारभूत साक्ष्य के अभाव में इसके अतिरिक्त प्रार्थना–पत्र में चाही गई अन्य कोई राशि प्रार्थी/आवेदक श्रवण कुमार को दिलाया जाना युक्तियुक्त व न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसा प्रार्थी/ आवेदक श्रवण कुमार 10,000 + 6000 + 5000 + 8,42,063.04 + 3,00,000 + 1596 = 11,64,659.04/–रूपये प्रतिकर/ क्षतिपूर्ति की राशि अप्रार्थी/अनावेदक संख्या–1 सुरेन्द्र गाबा उर्फ हनुमान से प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है।

अनुतोषः–

चूंकि उपरोक्त विवचना के अनुसार विचारणीय प्रश्न संख्या –1 व 2 प्रार्थी/आवेदक श्रवण कुमार साबित करने में बखूबी सफल रहा है, अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी/आवेदक श्रवण कुमार 11,64,659.04/–रूपये बतौर प्रतिकर/क्षतिपूर्ति राशि, अप्रार्थी/अनावेदक संख्या–1

सुरेन्द्र गाबा उर्फ हनुमान से प्राप्त करने का अधिकारी है तथा प्रार्थी/आवेदक, प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 13.02.2017 से वसूली तक 06 प्रतिशत वार्षिक साधारण दर से उक्त राशि पर ब्याज राशि भी प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थी/आवेदक की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना–पत्र उक्तानुसार प्रतिकर/क्षतिपूर्ति हेतु स्वीकार किये जाने योग्य है।

पंचाट

07. अतः प्रार्थी/आवेदक श्रवण कुमार पुत्र श्री सुखराम की ओर से अप्रार्थी/अनावेदक सुरेन्द्र गाबा उर्फ हनुमान व अन्य के विरूद्ध प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना –पत्र को उक्तानुसार स्वीकार किया जाकर यह अंतिम पंचाट इस प्रकार पारित किया जाता है कि प्रार्थी/आवेदक कुल प्रतिकर/क्षतिपूर्ति राशि 11,64,659.04/–रुपये अप्रार्थी/अनावेदक संख्या–1 सुरेन्द्र गाबा उर्फ हनुमान से प्राप्त करने का अधिकारी है तथा प्रार्थी/आवेदक, प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 13.02.2017 से वसूली तक 06 प्रतिशत वार्षिक साधारण दर से उक्त राशि पर ब्याज राशि भी प्राप्त करने का अधिकारी है। इस प्रकरण में प्रार्थी /आवेदक को पूर्व में अंतरिम अवार्ड के रूप में यदि कोई राशि अदा की गई है, तो वह राशि नियमानुसार इस अंतिम पंचाट राशि में से समायोजित की जावे। अप्रार्थी/अनावेदक संख्या–1 सुरेन्द्र गाबा उर्फ हनुमान को यह आदेश दिया जाता है कि वह उक्त पंचाट राशि का भुगतान इस अधिकरण/न्यायालय के बैंक भारतीय स्टेट बैंक, नगरपालिका रोड़, सादुलशहर के खाता संख्या–42057037318, IFS Code–SBIN0031736 में जरिये NEFT/RTGS पंचाट की तारीख से एक माह की अवधि में जमा करवाकर सूचना नियमानुसार इस अधिकरण/न्यायालय को भिजवाये।

उक्त पंचाट राशि के जमा होने पर प्रार्थी/आवेदक श्रवण कुमार को इसका भुगतान निम्न प्रकार से किया जायेगा।

क्रम संख्या	प्रार्थी /आवेदक का नाम	बचत खाता में जमा करवाने वाली राशि	सावधि खाता में जमा करवाने वाली राशि	अवधि
01	श्रवण कुमार	6,64,659.04/–रुपए एवं इस राशि पर देय ब्याज राशि	5,00,000/–रुपए एवं इस राशि पर देय ब्याज राशि	03 वर्ष के लिए

उक्त पंचाट राशि के जमा होने पर इस अधिकरण/न्यायालय का बैंक प्रार्थी/आवेदक को उसके बैंक खाते में NEFT/RTGS के माध्यम से इसका भुगतान करेगा।

प्रार्थी/आवेदक का बैंक उसको उक्त सावधि जमा के आधार पर अधिकरण/न्यायालय की अनुमति के बिना कोई ऋण या अग्रिम राशि स्वीकृत नहीं करेगा और परिपक्वता पूर्व भुगतान नहीं करेगा।

(दीपा शर्मा)

08. यह निर्णय एवं पंचाट आज दिनांक 13.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले अधिकरण/न्यायालय में हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(दीपा शर्मा)